वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल वि0वि0,
जौनपुर

बेव साइट : ww.vbspu.ac.in
ई-मेल : connectpuregistrar.gmail.com
दूरभाष : 05452-252244

पत्रांक : 3629 शैक्षणिक /2021 दिनांक : 29.09.2021

प्रवेश समिति की बैठक

दिनांक 23.09.2021

उपस्थिति

1. प्रो0 निर्मला एस. मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
2. डॉ0 मुनीव शर्मा, प्राचार्य, रामबचन सिह राजकीय महाविद्यालय बगली पिजड़ा, मऊ। **(प्राचार्य वर्ग से)**	सदस्य
3. डॉ0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
4. प्रो0 राम नारायण, बायोटेक्नोलोजी विभाग, संकायाध्यक्ष, विज्ञान, विश्वविद्यालय परिसर।	सदस्य
5. डॉ0 ओम प्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
6. डॉ0 विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, श्री गणेश राय पी0जी0 कालेज, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
07. डॉ0 समर बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
08. प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष अनु0 सामा0 वि0 एवं मानविकी संकाय, विश्वविद्यालय, परिसर।	सदस्य
09. प्रो0 अविनाश पार्थिडिकर, संकायाध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर।	सदस्य
10. प्रो0 वन्दना राय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर। **(कार्यपरिषद सदस्य नामिनी)**	सदस्य
11. डॉ0 मुनीव शर्मा, प्राचार्य, रामबचन सिह राजकीय महाविद्यालय बगली पिजड़ा, मऊ। **(कार्यपरिषद सदस्य नामिनी)**	सदस्य
12. श्री महेन्द्र कुमार, कुलसचिव, वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर।	सचिव
13. श्री संजय कुमार राय, वित्त अधिकारी, वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
14. श्रीमती बविता सहायक कुलसचिव वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर	विशेष आमंत्रित
15. श्री दीपक सिंह सहायक कुलसचिव वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
16. श्री अमृत लाल सहायक कुलसचिव वी0ब0सिंह पूर्वान्चल वि0वि0, जौनपुर।	विशेष आमंत्रित

प्रस्ताव संख्या–1. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 की कार्यवाही के पुष्टि पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 की कार्यवाही को पुष्टि प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–2 शासनादेश संख्या –1275/सत्तर–1–2021–16 (11)/2014 टी.सी.–11 दिनांक 09 सितम्बर 2021 द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर 2021–22 के अनुमोदन पर विचार

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 1275/सत्तर–1–2021–16 (11)/2014 टी0सी0–11 दिनांक 09 सितम्बर, 2021 शैक्षणिक कैलेंडर को यथावत् स्वीकार किया गया। **(कार्यवाही– शैक्षणिक विभाग)**

प्रस्ताव संख्या–3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्र छात्राओं के प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 1577/79–वि–1–20–1 (क)–4–20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 के अनुसार प्रवेश में छात्र/छात्राओं को दश प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में

निर्णय– सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त 10% सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1577/79–वि–1–20–1 (क)–4–20 दिनांक 31 अगस्त 2020 को यथावत लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा जिन पाठ्यक्रमों में अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है उनमें नियामक संस्थाओं द्वारा उक्त की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही स्वीकृत सीटों के सापेक्ष में 10% अतिरिक्त सीटें प्रवेश हेतु अनुमन्य होगी। (**कार्यवाही–प्रवेश प्रकोष्ठ**)

नोटः–

1. कोरोना महामारी या अन्य कारण से यदि 90/180 दिन में से शिक्षण दिवस कम हो रहे हैं, तो उतनी शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षायें/आन लाइन कक्षायें लगाकर की जायेगी ताकि सत्र नियमित किया जा सके ।
2. छात्रों को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी एवं अन्य आन लाइन माध्यमों से अध्ययन करने के लिये प्रेरित किया जाये ताकि कम समय में अधिक शिक्षण कार्य संभव हो सके।सभी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय सेमस्टर/वार्षिक संचालित पाठ्यकमों की अर्द्ध वार्षिक परीक्षायें (Mid-term Exam) अनिवार्य रूप से संचालित करायेंगे, ताकि विषम अपरिहार्य परिस्थितियों में छात्रों की प्रोन्नति समय से संभव हो सके, साथ ही छात्रों की पढ़ाई की हानि न हो।
4. करोना महामारी के कारण गत वर्ष कुछ समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय बन्द रहें हैं जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है तथा सत्र अनियमित हो गया है। सत्र को नियमित करने के लिये छात्र हित में सत्र सामान्य होने तक विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में होने वाले शीतावकाश को छात्र हित में निरस्त किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुरूप 15–15 दिन का ग्रीष्मावकाश देते हुए दो वार में आधे–आधे शिक्षकों को शिक्षण संस्थान में बुलाया जा सकता है।
5. सत्र नियमित होने तक (31 मार्च 2023 तक) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बहुत आवश्यक होने पर ही दीर्घावकाश (मातृत्व अवकाश छोड़कर) स्वीकृत किये जायें।
6. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के निधन पर अपरान्ह 3 बजे होगी, अपरान्ह 3 बजे तक कक्षायें यथावत चलेंगी।

आगामी शैक्षिक सत्र 2022–23 दिनांक 22.08.2022 से आरम्भ होगा जिसके लिये शैक्षिक कैलेण्डर पृथक से निर्गत किया जायेगा।

अन्य कोई प्रस्ताव न हाने के कारण कुलसचिव जी के धन्यवाद के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

24/09/2021
कुलपति